सर्वोच्च प्राथमिकता

परिपत्र संख्याः डीजी–17 /2018

ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
1–तिलक मार्ग, लखनऊ

दिनांकः लखनऊः अप्रैल 25 ,2018

प्रिय महोदय,

आप सभी अवगत है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 2005 की धारा 44 (बी) के द्वारा भा0द0सं0 में धारा 174–ए को सम्मिलित किया गया है, जो निम्नवत् हैः–

"174–क 1974 के अधिनियम संख्याः 2 की धारा 82 के अधीन उद्घोषणा के उत्तर में गैर–हाजिर– जो कोई दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973(1974 का 2) की धारा 82 की उप धारा (1) के अधीन प्रकाशित किसी उद्घोषणा की अपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट स्थान और विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर हाजिर होने में असफल रहता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा और जहॉ उस धारा की उपधारा (4) के अधीन कोई ऐसी घोषणा की गयी है जिसमें उसे उद्घोषित अपराधी के रूप में घोषित किया गया है वहॉ वह कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने का भी दायी होगा।"

"174A. Non-appearance in response to a proclamation under section 82 of Act 2 of 1974 – Whoever fails to appear at the specified place and the specified time as required by a proclamation published under sub-section (1) of section 82 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both, and where a declaration has been made under sub-section (4) of that section pronouncing him as a proclaimed offender, he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine."

2. दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम–2005 के द्वारा द0प्र0सं0 की धारा–82 में किया गया संशोधन निम्नवत् हैः–

" मूल अधिनियम की धारा 82 में उपधारा (3) के पश्चात, निम्नलिखित उपधाराऐं अन्तः स्थापित की गयी है, अर्थात–

(4) जहॉ उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित की गयी उद्घोषणा भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 302, धारा 304, धारा 364, धारा 367, धारा 382, धारा 392, धारा 393, धारा 394, धारा 395, धारा 396, धारा 397, धारा 398, धारा 399, धारा 400, धारा 402, धारा 436, धारा 449, धारा 459 या धारा 460 के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के सम्बन्ध में है और **ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में अपेक्षित विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है तो न्यायालय, तब ऐसी जॉच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझता है, उसे उद्घोषित अपराधी प्रकट कर** सकता है और उस प्रभाव की घोषणा कर सकता है।

(5) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध न्यायालय द्वारा उपधारा (4) के अधीन की गयी घोषणा को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा को लागू होते हैं।"

12. Amendment of section 82 – In section 82 of the principal Act, after subsection (3) the following sub-sections shall be inserted namely:-

"(4) Where a proclamation published under sub-section (1) is in respect of a person accused of an offence punishable under section 302, 304, 364, 367, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 436, 449, 459 or 460 of the Indian Penal Code (45 of 1860), and such person fails to appear at the specified place and time required by the proclamation, the Court may, after making such inquiry as it thinks fit, pronounce him proclaimed offender and make a declaration to that effect (5) The provisions of sub-sections (2) and (3) shall apply to a declaration made by the Court under sub-section (4) as they apply to the proclamation published under sub-section(1)."

3. उपरोक्त भा0दं0सं0 एवं दं0प्र0सं0 के संशोधनों के अनुपालनार्थ मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा परिपत्र संख्याः डीजी–24/2009, दिनांक 29.04.2009 व परिपत्र संख्याः डीजी–12/2015, दिनांक 16.02.2015 के माध्यम से आपको निर्देशित किया गया था कि आप दण्ड प्रकिया संहिता (संशोधन) अधिनियम–2005 के द्वारा किये गये कि उपरोक्त प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

4. किन्तु मुख्यालय स्तर पर इस सम्बन्ध में की गई समीक्षा के क्रम में यह परिलक्षित हुआ है कि जनपदों में ऐसे जघन्य अपराधों में फरार/वॉछित अभियुक्तों के विरूद्व धारा– 82 सी0आर0पी0सी0 के तहत वारण्ट की कार्यवाही समय से सम्पादित नहीं की जा रही है अथवा यदि 82 सी0आर0पी0सी0 का आदेश न्यायालय से प्राप्त कर भी लिया जाता है तो 82 सी0आर0पी0सी0 हेतु विहित प्रकिया का सम्पादन समुचित ढंग से नहीं किया जा रहा है। **पुनः यदि कोई अभियुक्त 82 सी0आर0पी0सी0 के प्रावधान में वर्णित नियमों के अनुसार मुनादी के उपरान्त नियत तिथि तक मा0 न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसके विरूद्व भा0दं0सं0 की धारा– 174ए का अभियोग पंजीकृत नहीं किया जा रहा है** अथवा काफी विलम्ब से पंजीकृत किया जा रहा है।

5. यह उल्लेखनीय है कि 82 सी0आर0पी0सी0 की कार्यवाही का आदेश मा0 न्यायालय से प्राप्त करने के उपरान्त अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु गवाहों की उपस्थिति में मुनादी करायी जाती है तथा इस कार्यवाही की आख्या, सम्बन्धित पुलिस अधिकारी द्वारा 82 सी0आर0पी0सी0 के आदेश के पुस्त पर अंकित कर गवाहों के हस्ताक्षर कराये जाते हैं और मा0 न्यायालय को प्रस्तुत की जाती है, जिसके आधार पर मा0 न्यायालय द्वारा आदेश पत्रक (Order sheet) पर समुचित आदेश पारित किया जाता है। **धारा 174–ए भा0द0सं0 का अपराध स्वतंत्र अपराध है,जिसके सम्बन्ध में पृथक प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किया जाना अपेक्षित है।**

6. धारा 174–ए का अपराध मा0 न्यायालय के आदेश का अनुपालन न किये जाने से सम्बन्धित होने एवं धारा 82 (4) दं0प्र0सं0 में वर्णित अपराधों की दशा में 07 वर्ष के दण्ड का प्रावधान होने के कारण इसमें जमानत स्वीकार्य होने की सम्भावना कम एवं दोष सिद्व होने की सम्भावना अधिक होती है।

7. यदि धारा 174–ए के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों में Conviction होता है तो इससे जहॉ एक ओर विधि का सम्मान स्थापित होता है वहीं दूसरी ओर अपराधियों के लिए यह Deterrent Factor के रूप में काम करता है। अतः आप अपने जनपदों के ऐसे समस्त अभियोगों

का परीक्षण करा लें, जिसमें अभियुक्त धारा 82 दं0प्र0सं0 की उद्घोषणा के पश्चात मा0 न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है अथवा फरार है तो उस अभियुक्त के विरूद्व धारा 174ए भा0द0सं0 के अन्तर्गत अविलम्ब अभियोग पंजीकृत किया जाये तथा इसमें सुसंगत साक्ष्यों का संकलन कराते हुए तत्काल मा0 न्यायालय में आरोप–पत्र प्रेषित किया जाये।

8. धारा 174–ए भा0द0सं0 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों की विवेचना में निम्न अभिलेखों को सम्मिलित किया जाये:–

1. मा0 न्यायालय के द्वारा निर्गत 82 सी0आर0पी0सी0 के आदेश की प्रति।
2. 82 सी0आर0पी0सी0 को तामील करने वाले पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट की प्रति।
3. जिन गवाहों के समक्ष मुनादी करायी जाये, उनका 161 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत बयान।
4. मुनादी करने वाले का बयान।
5. मा0 न्यायालय द्वारा 82 सी0आर0पी0सी0 के तामील किये जाने के उपरान्त पुलिस अधिकारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के सम्बन्ध में आदेश पत्रक (Order sheet) पर पारित आदेश की प्रमाणित प्रति।

9. उल्लेखनीय है कि ऐसे प्रकरणों में सजा की प्रबल सम्भावना होती है, इसके लिए आवश्यक है कि अभियोजन अधिकारी से अपेक्षित समन्वय स्थापित कर शीघ्रातिशीघ्र मुकदमें का निस्तारण एवं दोषी को दण्डित (Conviction) कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। ताकि विधि में संशोधन की मंशा सफल हो सके तथा अपराधियों में कानून का भय व्याप्त हो सके।

10. आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि इस प्रकरण का अनुश्रवण जनपदीय मानीटरिंग सेल एवं अपराध गोष्ठी में करें और समस्त व्यतिकमी (Defaulter) के विरूद्व अभियोग पंजीकृत कराकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में दिन प्रतिदिन सुनवाई हेतु जनपद न्यायधीश से भी अनुरोध कर लिया जाये।

11. जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, अपने अधीनस्थ जनपदों का भ्रमण करें तो इस शीर्षक के अन्तर्गत कार्यवाही का अनुश्रवण अवश्य कर लें।

भवदीय,

25.4.18

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद (नाम से)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।